संचिका संख्या–टी–2 / नामा0(अप0)–04 / 2008– 2503 7/6/10

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

विषय : बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

योजना आयोग, भारत सरकार ने सभी राज्यों से कौशल विकास के कार्यक्रमों को गति एवं दिशा देने हेतु राज्य स्तर पर कौशल विकास मिशन की स्थापना का अनुरोध किया है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से देश में आने वाले समय में 50 करोड़ कुशल श्रम शक्ति के सृजन का लक्ष्य हासिल किया जाना है। इसी क्रम में राज्य में "बिहार कौशल विकास मिशन" की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. बिहार कौशल विकास मिशन गैर–लाभकारी, स्वतंत्र एवं स्वायत्त सोसायटी होगा । मिशन का मूल दृष्टिकोण होगा राज्य में गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने वाले तंत्र की क्षमता तथा काबिलियत का निर्माण एवं संवर्द्धन, ताकि युवकों को रोजगार पाने के योग्य बनाकर बाजार में कुशल श्रम शक्ति की बढ़ती मांग के अनुरूप राज्य के युवकों में आवश्यक कुशलताओं का विकास किया जा सके।

3. कौशल विकास मिशन का Memorandum of Association (MOA) एवं नियमावली संलग्न है (अनुलग्नक–1)। इसके अनुसार मिशन के संचालनार्थ शासी निकाय तथा कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी। शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री होंगे तथा उसमें सरकार के विभिन्न विभागों, जिनका संबंध कौशल विकास तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने से है, के माननीय मंत्री सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त शासी निकाय में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकेगा।

4. मिशन की कार्यकारिणी समिति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जिसमें सरकार के संबंधित विभागों के सचिव/ प्रधान सचिव तथा विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

5. मिशन में पूर्णकालिक मिशन निदेशक/ अपर मिशन निदेशक तथा अन्य पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे। पदाधिकारियों के पदों का सृजन कार्यकारिणी समिति कर सकेगी तथा इस संबंध में बनाए गए रेगूलेशन्स के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति कर सकेगी। सभी पद लघुकालीन, संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएँगे।

6. शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति एवं मिशन निदेशक आदि के कार्यों एवं दायित्वों का विशद वर्णन Memorandum of Association एवं नियमावली में किया गया है।

7. राज्य सरकार संलग्न Memorandum of Association एवं नियमावली के अनुसार बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करती है।

8. बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

9. यहा संकल्प वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है ।

ह0 7/6
(व्यास जी)
प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–2 / नामां0(अप0)–04 / 2008 2503 दिनांक– 7/6/10

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, के आप्त सचिव /मुख्य सचिव बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, योजना विभाग, बिहार/ सभी विभागीय प्रधान सचिव एवं सचिव, बिहार / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0 7/6
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– टी–2 / नामां0(अप0)–04 / 2008 2503 दिनांक– 7/6/10

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0 7/6
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।